	तंख्या _532/18-2-2019-97(ल030)/2016
	19 x 2019 37(clubb)/ 2016
षक,	
	वनीत सहगल,
ਸ	मुख सचिव,
ক্	हम लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन, 1990 शासन ।
नेवा में,	
	1 समस्य अपर मयस अभिन (स्वयन करित) ह
	 समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन । आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ०प्र० कानपुर। समस्त विभागप्रयक्ष जलव प्रवेश ।
	a transferration of the MCM
	4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
	 समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
रूम, ल	षु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 अक्षनऊ : दिनांक २६ अगरत, 2019
१षयः–	उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उनके ज्यीनस्व निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/उपक्रमों में सामग्री एवंसेवाओं के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, जेम (GeM) की व्यवस्था के अनिवार्य रूप से उपयोग किये जाने विषयक।
होदय,	
	आप अवगत हैं कि शासनादेश संख्या- 11/2017/523/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016 दिनांक
3 101111	
	त्त, 2017 द्वारा प्रदेश के सभी विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं आदि में सामग्री एवं सेवाओं भी
	त, 2017 द्वारा प्रदश के सभा विभागा एव उनक अधानस्य संस्थाओं आदि में सामग्री एव रोवाओं को के लिए भारत सरकार के बाणिज्य मंत्रालग द्वारा विरूसित मयर्नमेंट ई-मार्केटप्लेश, जेम (GeM)
तपूर्ति व	के लिए भारत सरकार के बाणिज्य मंत्रालग दारा विरूसित गवर्नमेंट ई-गार्केटप्सेश, जेग (GeM)
गपूर्ति व रिल व	के लिए भारत सरकार के बाणिज्य मंत्रालग दारा विरूसित गवर्नमेंट ई-गार्केटप्लेश, जेग (GeM) ते अंगीकृत करते हुये इस पोर्टल के माध्यम से क्य किये जाने की व्यवस्था प्रख्यापित की गयी है।
गपूर्ति व रिल व क्त शा	के लिए भारत सरकार के बाणिज्य मंबालग दास विरूसित मवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, जेन (GeM) तो अंगीकृत करते हुये इस पोर्टल के माध्यम से कय किये जाने की व्यवस्था प्रख्यापित की गयी है। सनादेश में यह उपबंध किया गया है कि जो सामग्री/सेवाएं जेम पर उपलब्ध हैं, उन्हें जेम पोर्टल
गपूर्लि व वित्त व वित्त शा ही दी	के लिए भारत सरकार के बाणिज्य मंबालग दास विरुत्तित मवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस, जेन (GeM) को अंगीकृत करते हुये इस पोर्टल के माध्यम से कय किये जाने की व्यवस्था प्रख्यापित की गयी है। सनादेश में यह उपदंध किया गया है कि जो सामग्री/सेवाएं जेम पर उपलब्ध हैं, उन्हें जेम पोर्टल इय किया जाये, परंतु कई प्रकरण ऐसे सामने आये हैं जिनमें GeM की अनदेखी करते हुए
गपूर्लि व वित्त व वित्त शा ही दी	के लिए भारत सरकार के बाणिज्य मंबालग दास विरूसित मवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, जेन (GeM) तो अंगीकृत करते हुये इस पोर्टल के माध्यम से कय किये जाने की व्यवस्था प्रख्यापित की गयी है। सनादेश में यह उपबंध किया गया है कि जो सामग्री/सेवाएं जेम पर उपलब्ध हैं, उन्हें जेम पोर्टल
गपूर्ति व विदेल व विदेल शा ति ही द —निविद	के लिए भारत सरकार के बाणिज्य मंबालग दास विय्वसित मवर्नमेंट ई मार्केटप्सेस, जेन (GeM) को अंगीकृत करते हुये इस पोर्टल के माध्यम से कम किये जाने की व्यवस्था प्रख्यापित की गयी है। सनादेश में यह उपदंध किया गया है कि जो सामग्री/सेवाएं जेम पर उपलब्ध हूँ, उन्हें जेम पोर्टल इय किया जाये, परंतु कई प्रकरण ऐसे सामने आये हैं जिनमें GeM की अनदेखी करते हुए दा के माध्यम से खरीद की गयी। यह संगत शासनादेश का उल्लंघन है एवं यह कृत्य वित्तीय
गपूर्ति व वित्त व वत्त शा ही द —निविद	के लिए भारत सरकार के बाणिज्य मंबालग दास विरुत्तित मवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस, जेन (GeM) को अंगीकृत करते हुये इस पोर्टल के माध्यम से कय किये जाने की व्यवस्था प्रख्यापित की गयी है। सनादेश में यह उपदंध किया गया है कि जो सामग्री/सेवाएं जेम पर उपलब्ध हैं, उन्हें जेम पोर्टल इय किया जाये, परंतु कई प्रकरण ऐसे सामने आये हैं जिनमें GeM की अनदेखी करते हुए
गपूर्ति व वत्त शा ही र —निविय नियमिव	के लिए भारत सरकार के बाणिज्य मंबालग दारा गिर्वसित मयर्नमेंट ई मार्केटप्सेस, जेम (GeM) को अंगीकृत करते हुये इस पोर्टल के माध्यम से क्य किये जाने की व्यवस्था प्रख्यापित की गयी है। सनादेश में यह उपदंध किया गया है कि जो सामग्री/सेवाएं जेम पर उपलब्ध हूँ.(उन्हें जेम पोर्टल क्य किया जाये, परंतु कई प्रकरण ऐसे सामने आये हैं जिनमें GeM की अनदेखी करते हुए दा के माध्यम से खरीद की गयी। यह संगत शासनादेश का उल्लंघन है एवं यह कृत्य विलीय तता की श्रेणी में भी आता है।
गपूर्ति व वत्त शा ही र –निविय नियमिक	के लिए भारत सरकार के बाणिज्य मंबालग दारा गिय्वसित मयर्नमेंट ई मार्केटप्सेस, जेम (GeM) को अंगीकृत करते हुये इस पोर्टल के माध्यम से क्य किये जाने की व्यवस्था प्रख्यापित की गयी है। सनादेश में यह उपयंध किया गया है कि जो सामग्री/सेवाएं जेम पर उपलब्ध हैं, उन्हें जेम पोर्टल क्य किया जाये, परंतु कई प्रकरण ऐसे सामने आये हैं जिनमें GeM की अनदेखी करते हुए दा के माध्यम से खरीद की गयी। यह संगत शासनादेश का उल्लंघन है एवं यह कृत्य वित्तीय तता की श्रेणी में भी आता है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जो सामग्री एवं सेवाएं GeM पर
गपूर्ति व वत्त शा ही र –निविय नियमिक	के लिए भारत सरकार के बाणिज्य मंबालग दारा गिर्वसित मयर्नमेंट ई मार्केटप्सेस, जेम (GeM) को अंगीकृत करते हुये इस पोर्टल के माध्यम से क्य किये जाने की व्यवस्था प्रख्यापित की गयी है। सनादेश में यह उपदंध किया गया है कि जो सामग्री/सेवाएं जेम पर उपलब्ध हूँ.(उन्हें जेम पोर्टल क्य किया जाये, परंतु कई प्रकरण ऐसे सामने आये हैं जिनमें GeM की अनदेखी करते हुए दा के माध्यम से खरीद की गयी। यह संगत शासनादेश का उल्लंघन है एवं यह कृत्य विलीय तता की श्रेणी में भी आता है।
ापूर्ति व क्त श ही र –निविष् नियमिक	के लिए भारत सरकार के बाणिज्य मंबालग दारा गिय्वसित मयर्नमेंट ई मार्केटप्सेस, जेम (GeM) को अंगीकृत करते हुये इस पोर्टल के माध्यम से क्य किये जाने की व्यवस्था प्रख्यापित की गयी है। सनादेश में यह उपयंध किया गया है कि जो सामग्री/सेवाएं जेम पर उपलब्ध हैं, उन्हें जेम पोर्टल क्य किया जाये, परंतु कई प्रकरण ऐसे सामने आये हैं जिनमें GeM की अनदेखी करते हुए दा के माध्यम से खरीद की गयी। यह संगत शासनादेश का उल्लंघन है एवं यह कृत्य वित्तीय तता की श्रेणी में भी आता है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जो सामग्री एवं सेवाएं GeM पर
ापूर्ति व क्त श ही र –निविष् नियमिक	के लिए भारत सरकार के बाणिज्य मंबालग दारा गिय्वसित मयर्नमेंट ई मार्केटप्सेस, जेम (GeM) को अंगीकृत करते हुये इस पोर्टल के माध्यम से क्य किये जाने की व्यवस्था प्रख्यापित की गयी है। सनादेश में यह उपयंध किया गया है कि जो सामग्री/सेवाएं जेम पर उपलब्ध हैं, उन्हें जेम पोर्टल क्य किया जाये, परंतु कई प्रकरण ऐसे सामने आये हैं जिनमें GeM की अनदेखी करते हुए दा के माध्यम से खरीद की गयी। यह संगत शासनादेश का उल्लंघन है एवं यह कृत्य वित्तीय तता की श्रेणी में भी आता है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जो सामग्री एवं सेवाएं GeM पर
ापूर्ति व क्त शा ही र –निविय नियमिल	के लिए भारत सरकार के बाणिज्य मंबालग दारा विर्क्षसित गयर्नमेंट ई गार्केटप्लेस, जेम (GeM) को अंगीकृत करते हुये इस पोर्टल के माध्यम से कय किये जाने की व्यवस्था प्रख्यापित की गयी है। सनादेश में यह उपक्षंध किया गया है कि जो सामग्री/ सेवाएं जेम पर उपलब्ध हैं, उन्हें जेम पोर्टल इय किया जाये, परंतु कई प्रकरण ऐसे सामने आये हैं जिनमें GeM की अनदेखी करते हुए दा के माध्यम से खरीद की गयी। यह संगत शासनादेश का उल्लंधन है एवं यह कृत्य वित्तीय तता की श्रेणी में भी आता है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जो सामग्री एवं सेवाएं GeM पर है, उन्हें अनिवार्यतः GeM से ही क्रय किया जाये। ऐसी सामग्री एवं सेवाएं जो GeM पर उपलब्ध
ापूर्ति व क्त शा ही र –निविय नियमिल	के लिए भारत सरकार के बाणिज्य मंबालग दारा विर्क्षसित गयर्नमेंट ई गार्केटप्लेस, जेम (GeM) को अंगीकृत करते हुये इस पोर्टल के माध्यम से कय किये जाने की व्यवस्था प्रख्यापित की गयी है। सनादेश में यह उपक्षंध किया गया है कि जो सामग्री/ सेवाएं जेम पर उपलब्ध हैं, उन्हें जेम पोर्टल इय किया जाये, परंतु कई प्रकरण ऐसे सामने आये हैं जिनमें GeM की अनदेखी करते हुए दा के माध्यम से खरीद की गयी। यह संगत शासनादेश का उल्लंधन है एवं यह कृत्य वित्तीय तता की श्रेणी में भी आता है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जो सामग्री एवं सेवाएं GeM पर है, उन्हें अनिवार्यतः GeM से ही क्रय किया जाये। ऐसी सामग्री एवं सेवाएं जो GeM पर उपलब्ध
ापूर्ति व वत शा ही व –निविव नियमिक पलब्ध	के लिए भारत सरकार के बाणिज्य मंबालग दारा विकसित मवर्नमेंट ई-मार्केटप्सेस, जेम (GeM) को अंगीकृत करते हुये इस पोर्टल के माध्यम से कय किये जाने की व्यवस्था प्रख्यापित की गयी है। सनादेश में यह उपदंध किया गया है कि जो सामग्री/सेवाएं जेम पर उपलब्ध हैं, उन्हें जेम पोर्टल इय किया जाये, परंतु कई प्रकरण ऐसे सामने आये हैं जिनमें GeM की अनदेखी करते हुए दा के माध्यम से खरीद की गयी। यह संगत शासनादेश का उल्लंघन है एवं यह कृत्य वित्तीय तता की श्रेणी में भी आता है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जो सामग्री एवं सेवाएं GeM पर है, उन्हें अनिवार्यतः GeM से ही क्रय किया जाये। ऐसी सामग्री एवं सेवाएं जो GeM पर उपलब्ध है, उन्हें जोम नोर्टल पर श्रेणीवदा कराने हेयु Request के माध्यम से भारत का उल्लंघन को अन्याल कराया
ापूर्ति व वत शा ही व –निविव नियमिक मलब्ब	के लिए भारत सरकार के बाणिज्य मंबालग दारा विर्क्षसित गयर्नमेंट ई गार्केटप्लेस, जेम (GeM) को अंगीकृत करते हुये इस पोर्टल के माध्यम से कय किये जाने की व्यवस्था प्रख्यापित की गयी है। सनादेश में यह उपक्षंध किया गया है कि जो सामग्री/ सेवाएं जेम पर उपलब्ध हैं, उन्हें जेम पोर्टल इय किया जाये, परंतु कई प्रकरण ऐसे सामने आये हैं जिनमें GeM की अनदेखी करते हुए दा के माध्यम से खरीद की गयी। यह संगत शासनादेश का उल्लंधन है एवं यह कृत्य वित्तीय तता की श्रेणी में भी आता है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जो सामग्री एवं सेवाएं GeM पर है, उन्हें अनिवार्यतः GeM से ही क्रय किया जाये। ऐसी सामग्री एवं सेवाएं जो GeM पर उपलब्ध
ापूर्ति व वत शा ही व –निविव नियमिक पलब्ध	के लिए भारत सरकार के बाणिज्य मंबालग दारा विकसित मवर्नमेंट ई-मार्केटप्सेस, जेम (GeM) को अंगीकृत करते हुये इस पोर्टल के माध्यम से कय किये जाने की व्यवस्था प्रख्यापित की गयी है। सनादेश में यह उपदंध किया गया है कि जो सामग्री/सेवाएं जेम पर उपलब्ध हैं, उन्हें जेम पोर्टल इय किया जाये, परंतु कई प्रकरण ऐसे सामने आये हैं जिनमें GeM की अनदेखी करते हुए दा के माध्यम से खरीद की गयी। यह संगत शासनादेश का उल्लंघन है एवं यह कृत्य वित्तीय तता की श्रेणी में भी आता है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जो सामग्री एवं सेवाएं GeM पर है, उन्हें अनिवार्यतः GeM से ही क्रय किया जाये। ऐसी सामग्री एवं सेवाएं जो GeM पर उपलब्ध है, उन्हें जोम नोर्टल पर श्रेणीवदा कराने हेयु Request के माध्यम से भारत का उल्लंघन को अन्याल कराया
ापूर्ति व वत शा ही व –निविव नियमिक पलब्ध	के लिए भारत सरकार के बाणिज्य मंबालग दास विलसित मवर्नमेंट ई-मार्केटप्सेस, जेम (GeM) को अंगीकृत करते हुये इस पोर्टल के माध्यम से कय किये जाने की व्यवस्था प्रख्यापित की गयी है। सनादेश में यह उपसंध किया गया है कि जो सानग्री/सेवाएं जेम पर उपलब्ध हैं.उन्हें जेम पोर्टल इय किया जाये, परंतु कई प्रकरण ऐसे सामने आये हैं जिनमें GeM की अनदेखी करते हुए दा के माध्यम से खरीद की गयी। यह संगत शासनादेश का उल्लंघन है एवं यह कृत्य वित्तीय तता की श्रेणी में भी आता है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जो सामग्री एवं सेवाएं GeM पर है, उन्हें अनिवार्यतः GeM से ही क्रय किया जाये। ऐसी सामग्री एवं सेवाएं जो GeM पर उपलब्ध है. उन्हें जोन नोर्टल पर श्रेणीयदा कराने ऐदा Request के माध्यम से भारत सरकार को अवगत कराया 4. ताकि उक्त सामग्री एवं सेवा की श्रेणी सृणिव की जा साक्षे।
गपूर्ति व क्त शा ही व —निविव नियमिक पलब्ध	के लिए भारत सरकार के बाणिज्य मंबालग टाग विरुसित मवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, जेम (GeM) के अंगीकृत करते हुये इस पोर्टल के माध्यम से रूप किये जाने की व्यवस्था प्रख्यापित की गयी है। सनादेश में यह उपवंध किया गया है कि जो सामग्री/सेवाएं जेम पर उपलब्ध हैं, उन्हें जेम पोर्टल इय किया जाये, परंतु कई प्रकरण ऐसे सामने आये है जिनमें GeM की अनदेखी करते हुए दा के माध्यम से खरीद की गयी। यह संगत शासनादेश का उल्लंधन है एवं यह कृत्य वित्तीय तता की श्रेणी में भी आता है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जो सामग्री एवं सेवाएं GeM पर है, उन्हें अनिवार्यतः GeM से ही क्रय किया जाये। ऐसी सामग्री एवं सेवाएं जो GeM पर उपलब्ध है, उन्हें जेनिवार्यतः GeM से ही क्रय किया जाये। ऐसी सामग्री एवं सेवाएं जो GeM पर उपलब्ध है, उन्हें जेम नोर्टल पर श्रेणीवन्द कराने हेनु Request के माध्यम से भारत सरकार को अवगल कत्ताया १, साकि चक्त सामग्री एवं सेवा की श्रेणी शृणित की जा राके। मबदीय,
गपूर्ति व क्त शा ही व —निविव नियमिक पलब्ध	के लिए भारत सरकार के बाणिज्य मंजलग टाग विरुसित मयर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, जेम (GeM) तो अंगीकृत करते हुये इस घोर्टल के माध्यम से कय किये जाने की व्यवस्था प्रख्यापित की गयी है। सनादेश में यह उपक्षंघ किया गया है कि जो सामग्री/ सेवाएं जेम पर उपलब्ध हैं, उन्हें जेम पोर्टल इय किया जाये, परंतु कई प्रकरण ऐसे सामने आये हैं जिनमें GeM की अनदेखी करते हुए दा के माध्यम से खरीद की गयी। यह संगत शासनादेश का उल्लंघन है एवं यह कृत्य वित्तीय तता की श्रेणी में भी आता है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जो सामग्री एवं सेवाएं GeM पर हैं, उन्हें अनिवार्यतः GeM से ही क्रय किया जाये। ऐसी सामग्री एवं सेवाएं जो GeM पर उपलब्ध है, उन्हें अनिवार्यतः GeM से ही क्रय किया जाये। ऐसी सामग्री एवं सेवाएं जो GeM पर उपलब्ध है, उन्हें जेम नोर्टल पर श्रेणीयदा कराने छेप्रु Request के माध्यम से भारत सरकार को अवगत कत्ताया १ ताकि उक्त सागग्री एवं सेवा की श्रेणी स्तुणित की जा साके। मवदीय,
गपूर्ति व विदेल व किस शा किस श - निविव - निविविव - निविव - निव - निविव - निविविव - निविविव - निविविव - निविविव - निविविव - निविविविविविविविविविविविविविविविविविविव	के लिए भारत सरकार के बाणिज्य मंबालग टाग विरुसित मवर्नमेंट ई-मार्केटप्सेत, जेम (GeM) के अंगीकृत करते हुये इस पोर्टल के माध्यम से रूप किये जाने की व्यवस्था प्रख्यापित की गयी है। सनादेश में यह उपवंध किया गया है कि जो सामग्री/सेवाएं जेम पर उपलब्ध हैं, उन्हें जेम पोर्टल इय किया जाये, परंतु कई प्रकरण ऐसे सामने आये है जिनमें GeM की अनदेखी करते हुए दा के माध्यम से खरीद की गयी। यह संगत शासनादेश का उल्लंधन है एवं यह कृत्य वित्तीय तता की श्रेणी में भी आता है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जो सामग्री एवं सेवाएं GeM पर है, उन्हें अनिवार्यतः GeM से ही क्रय किया जाये। ऐसी सामग्री एवं सेवाएं जो GeM पर उपलब्ध है, उन्हें जेनिवार्यतः GeM से ही क्रय किया जाये। ऐसी सामग्री एवं सेवाएं जो GeM पर उपलब्ध है, उन्हें जेम नोर्टल पर श्रेणीवन्द कराने हेनु Request के माध्यम से भारत सरकार को अवगल कत्ताया १, ताकि चक्त सामग्री एवं सेवा की श्रेणी शृणित की जा राके। मबदीय,

Annexure 3: Notification of MSME dept. GoUP for mandatorily use of GeM portal in Uttar Pradesh.

प्रेषक,	संख्या-31/2020/273/18-2-2020-97(ल030)/2016टी.सी.
– नवनीत सहगल	
अपर मुख्य सचिव,	
उत्तर प्रदेश शासन।	
सेवा में.	
	ज्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उ०प्र० शासन।	न्य सायवन्नमुख सायवसायव,
2-आयुक्त एवं निदेश	
	म प्रोत्साहन निदेशालय 30प्र0,
3-समस्त विभागाध्य	
4-समस्त मण्डलायुव	
5-समस्त जिलाधिक	
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्	
दिशा-निर्देश।	
्दिशा-निर्देश। महोदय,	
महोदय,	ा में अवगत कराना है कि शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ
महोदय, उपर्युक्त के सम्बन्ध संस्थाओं में सामाग्री के क्र द्वारा विकसित गवर्नमे 11/2017/523/18-2-2017-9 गया है। कार्मिक विभाग द्व एवं उनके अधीनस्थ संस्थाउ भारत सरकार द्वारा विकसि जाने के सम्बन्ध में शासन	ा में अवगत कराना है कि शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ य तथा सेवाओं की आपूर्ति हेतु प्रदेश सरकार ने भारत सरकार एट-ई-मार्केटप्लेस, जेम (GeM) को शासनादेश संख्या- 97(ल.उ.)/2016, दिनांकः 23.08.2017 द्वारा अंगीकृत किया धारा उक्त शासनादेश के क्रम में उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों औं में मैनपावर के क्रय (आउटसोर्सिंग ऑफ मैनपावर) के लिए त गवर्नमेण्ट-ई-मार्केटप्लेस, जेम (GeM) की व्यवस्था लागू किये ादेश संख्या-8/2019/20/1/91-का-2/2019, दिनांक 18.12.2019 गासनादेश के प्रस्तर-7 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा
महोदय, उपर्युक्त के सम्बन्ध संस्थाओं में सामाग्री के क्र द्वारा विकसित गवर्नमे 11/2017/523/18-2-2017-9 गया है। कार्मिक विभाग द्व एवं उनके अधीनस्थ संस्थाउ भारत सरकार द्वारा विकसि जाने के सम्बन्ध में शासन जारी किया गया है। इस क् सेवायोजन विभागों से शास सुनिश्चित कराने की अपेक्षा	य तथा सेवाओं की आपूर्ति हेतु प्रदेश सरकार ने भारत सरकार 102-ई-मार्केटप्लेस, जेम (GeM) को शासनादेश संख्या- 97(ल.उ.)/2016, दिनांकः 23.08.2017 द्वारा अंगीकृत किया 11रा उक्त शासनादेश के क्रम में उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों ओं में मैनपावर के क्रय (आउटसोर्सिंग ऑफ मैनपावर) के लिए त गवर्नमेण्ट-ई-मार्केटप्लेस, जेम (GeM) की व्यवस्था लागू किये 11देश संख्या-8/2019/20/1/91-का-2/2019, दिनांक 18.12.2019 शासनादेश के प्रस्तर-7 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा सनादेश में दी गई व्यवस्था के सम्बन्ध में संगत कार्यवाही की गई है।
महोदय, उपर्युक्त के सम्बन्ध संस्थाओं में सामाग्री के क्र द्वारा विकसित गवर्नम 11/2017/523/18-2-2017-9 गया है। कार्मिक विभाग द्व एवं उनके अधीनस्थ संस्था प्रवं उनके अधीनस्थ संस्था भारत सरकार द्वारा विकसि जाने के सम्बन्ध में शासन जारी किया गया है। इस १ सेवायोजन विभागों से शास सुनिश्चित कराने की अपेक्षा	य तथा सेवाओं की आपूर्ति हेतु प्रदेश सरकार ने भारत सरकार 102-ई-मार्केटप्लेस, जेम (GeM) को शासनादेश संख्या- 97(ल.उ.)/2016, दिनांकः 23.08.2017 द्वारा अंगीकृत किया 11रा उक्त शासनादेश के क्रम में उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों भों में मैनपावर के क्रय (आउटसोर्सिंग ऑफ मैनपावर) के लिए त गवर्नमेण्ट-ई-मार्केटप्लेस, जेम (GeM) की व्यवस्था लागू किये 1देश संख्या-8/2019/20/1/91-का-2/2019, दिनांक 18.12.2019 11सनादेश के प्रस्तर-7 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा बनादेश में दी गई व्यवस्था के सम्बन्ध में संगत कार्यवाही की गई है। 5 शासनादेश संख्या-8/2019/20/1/91-का-2/2019, दिनांक
महोदय, उपर्युक्त के सम्बन्ध संस्थाओं में सामाग्री के क्र द्वारा विकसित गवर्नम 11/2017/523/18-2-2017-9 गया है। कार्मिक विभाग द्व एवं उनके अधीनस्थ संस्था प्रवं उनके अधीनस्थ संस्था भारत सरकार द्वारा विकसि जाने के सम्बन्ध में शासन जारी किया गया है। इस १ सेवायोजन विभागों से शास सुनिश्चित कराने की अपेक्षा	य तथा सेवाओं की आपूर्ति हेतु प्रदेश सरकार ने भारत सरकार 102-ई-मार्केटप्लेस, जेम (GeM) को शासनादेश संख्या- 97(ल.उ.)/2016, दिनांकः 23.08.2017 द्वारा अंगीकृत किया 11रा उक्त शासनादेश के क्रम में उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों ओं में मैनपावर के क्रय (आउटसोर्सिंग ऑफ मैनपावर) के लिए त गवर्नमेण्ट-ई-मार्केटप्लेस, जेम (GeM) की व्यवस्था लागू किये 11देश संख्या-8/2019/20/1/91-का-2/2019, दिनांक 18.12.2019 शासनादेश के प्रस्तर-7 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा सनादेश में दी गई व्यवस्था के सम्बन्ध में संगत कार्यवाही की गई है।
महोदय, उपर्युक्त के सम्बन्ध संस्थाओं में सामाग्री के क्र द्वारा विकसित गवर्नम 11/2017/523/18-2-2017-9 गया है। कार्मिक विभाग द्व एवं उनके अधीनस्थ संस्था प्रवं उनके अधीनस्थ संस्था भारत सरकार द्वारा विकसि जाने के सम्बन्ध में शासन जारी किया गया है। इस १ सेवायोजन विभागों से शास सुनिश्चित कराने की अपेक्षा	य तथा सेवाओं की आपूर्ति हेतु प्रदेश सरकार ने भारत सरकार 102-ई-मार्केटप्लेस, जेम (GeM) को शासनादेश संख्या- 97(ल.उ.)/2016, दिनांकः 23.08.2017 द्वारा अंगीकृत किया 11रा उक्त शासनादेश के क्रम में उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों भों में मैनपावर के क्रय (आउटसोर्सिंग ऑफ मैनपावर) के लिए त गवर्नमेण्ट-ई-मार्केटप्लेस, जेम (GeM) की व्यवस्था लागू किये 1देश संख्या-8/2019/20/1/91-का-2/2019, दिनांक 18.12.2019 11सनादेश के प्रस्तर-7 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा बनादेश में दी गई व्यवस्था के सम्बन्ध में संगत कार्यवाही की गई है। 5 शासनादेश संख्या-8/2019/20/1/91-का-2/2019, दिनांक
महोदय, उपर्युक्त के सम्बन्ध संस्थाओं में सामाग्री के क्र द्वारा विकसित गवर्नमे 11/2017/523/18-2-2017-9 गया है। कार्मिक विभाग द्व एवं उनके अधीनस्थ संस्थाउ भारत सरकार द्वारा विकसि जाने के सम्बन्ध में शासन जारी किया गया है। इस १ सेवायोजन विभागौ से शास सुनिश्चित कराने की अपेक्षा 2- उल्लेखनीय है वि 18.12.2019 के प्रस्तर-5 व	य तथा सेवाओं की आपूर्ति हेतु प्रदेश सरकार ने भारत सरकार 102-ई-मार्केटप्लेस, जेम (GeM) को शासनादेश संख्या- 97(ल.उ.)/2016, दिनांकः 23.08.2017 द्वारा अंगीकृत किया 11रा उक्त शासनादेश के क्रम में उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों भों में मैनपावर के क्रय (आउटसोर्सिंग ऑफ मैनपावर) के लिए त गवर्नमेण्ट-ई-मार्केटप्लेस, जेम (GeM) की व्यवस्था लागू किये 1देश संख्या-8/2019/20/1/91-का-2/2019, दिनांक 18.12.2019 11सनादेश के प्रस्तर-7 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा बनादेश में दी गई व्यवस्था के सम्बन्ध में संगत कार्यवाही की गई है। 5 शासनादेश संख्या-8/2019/20/1/91-का-2/2019, दिनांक

	इडा/यूपीडेस्को/यूपीएसआईसी इत्यादि के माध्यम से वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था से सम्बन्धित समस्त आदेश निरस्त कर दिये गये हैं। अतः प्रदेश के
के माध्यम से	ाय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं/निगमों/उपक्रमों आदि में जेम पोर्टल अनिवार्य रूप से बिड के माध्यम से ही मैनपावर आउटसोर्सिंग की व्यवस्था की
जायेगी, जिस	हेतु दिशा-निर्देश निम्नवत् हैः
1-	
1-	शासनादेश संख्या-8/2019/20/1/91-का-2/2019, दिनांक 18.12.2019 के
	प्रस्तर-3(1) के अनुसार सेवा प्रदाता द्वारा सम्भावित कार्मिक से किसी भी
	प्रकार की धनराशि लेना पूर्णतः वर्जित है। सेवा में रखे जाने के बाद समय से
	एवं पूर्ण भुगतान न करने के संबंध में क्रेता विभाग को सेवा प्रदाता के
	विरूद्ध कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर डीलिस्टिंग की कार्यवाही करने का
	अधिकार क्रेता विभाग/एजेंसी को होगा। क्रेता विभाग उक्त कार्यवाही से जम,
0	भारत सरकार को अवगत करायेगा।
2-	उक्त शासनादेश के प्रस्तर-3(2) के अनुसार किसी भी प्रकार की अनियमिता
	को रोकने के लिए सेवा प्रदाता द्वारा अभ्यर्थियों का चयन अनिवार्य रूप से सेवायोजन पोर्टल sewayojan.up.nic.in के माध्यम से वरिष्ठता के आधार पर
	सवायाजन पाटल sewayojan.up.nic.in के माध्यम से पार एस के करेगा कि किया जायेगा। सेवायोजन विमाग अपने पोर्टल पर गह गुनिश्चित करेगा कि
	एक ही व्यक्ति मल्टीपल पंजीकरण न करा सके।
	उक्त शासनादेश के प्रस्तर-3(3) के अनुसार आउटसोर्सिंग के माध्यम से
3-	सेवायोजित होने के उपरान्त किसी कर्मी को सेवा प्रदाता स्वमेव बदल नहीं
	गवानाः भवशासनहीतनां तथा दण्डनीय अपराध आदि की स्थिति में केली
	विभाग की सहमति के पश्चात ही चयनित/कार्यरत कर्मचारियों को सेवाप्रदाता
	रचन रहाग जा सकेगा।
4-	कापनारेश के प्रस्तर-3(4) के अनुसार जेम के माध्यम स हा
	भारतणोर्पिय क्यों की अनिवायता किये जाने से वतमान में काय कर रह
	- जेने की निरत्नरता बाधित नहीं की जायेगी। वर्तमान में काय कर रह
	र्क्तिमें को ही जेम पोर्टल दवारा चयनित सेवाप्रदाताओं दवारा रखा
	- केन दिशास हतारा सेताप्रदाता की उपलब्ध कराया आयगा। अयल गया
	किं ज नगर मेतागोजन पोर्टल से ही अनिवाय रूप से किया जायगा।
5-	कामया को प्रयन संपायांजन गणन अनुसार कार्मिकों को विलम्ब से मुगतान उक्त शासनादेश के प्रस्तर-4(1) के अनुसार कार्मिकों को विलम्ब से मुगतान
	के रेक्ट्रे के लिए केता विभाग द्वारा आउटसासग एजन्सा यह उत्तर
	का राकन के लिए प्रती प्रतिशत ब्याज व पेनाल्टी लगायी जायेगी। करायी गयी धनराशि पर 18 प्रतिशत ब्याज व पेनाल्टी लगायी जायेगी।
	शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकला नहीं है । (basequered) की जा सकती है ।



Incident Management

USER MANUAL-BUYER

V2



Table of Contents

1.	OVERVIEW	4
	INCIDENT DASHBOARD	
	INCIDENT CREATION	
	INCIDENT LISTING	
	INCIDENT RESOLUTION.	
	INCIDENT ESCALATION TO GEM ADMIN	
	RESPONDING TO THE CLARIFICATIONS ASKED BY GEM ADMIN	
	ACKNOWLEDGING TO A SHOW CAUSE NOTICE	
	RESPONDING TO A SHOW CAUSE NOTICE	
	CLOSING AN INCIDENT	
5.5.	CLUSIING AIN INCIDENT	3



Metadata

Sl No	Description	Values
1.	Title	GeM IM Manual - Buyer
2.	Drafted by	Sunny Tikoo
3.	Reviewed By	Mahesh Kumar
4.	Approved by	Alamelu Suresh
5.	Publisher	GeM
6.	Target Audience	MSP/SPV
7.	Brief Description	This document is a manual guide for buyer to be able to
		transact on the GeM Portal.
8.	Document Number	GeM/2018/IM-Manual-Buyer/2.0
9.	Total number of pages	15
10.	Last updated	20/10/2018
11.	Periodicity of update	As per the requirement

Version History

Version No.	Drafted By	Reviewed By	Approved By	Date
1.0	Akshay Kumar	Sunny Tikoo	Alamelu Suresh	23/08/2018
2.0	Sunny Tikoo	Mahesh Kumar	Alamelu Suresh	20/10/2018



1. Overview

The Incident Management can be used by the buyer to raise Incidents for Pre-order placement and Post order placement deviations by a seller. The Pre-order placement Incident management will deal with the deviations in product Catalogue and Seller Registration and authorization.

The Post Order Placement Incident Management will deal with the Contract deviations by the Seller.

2. Incident Dashboard

- 2.1. Login to your account on GeM
- 2.2. Incident management can be accessed from the INCIDENTS option available on the dashboard.

% 1-800-102-3436 / 1-800-41	19-5456 of Support Desk		English
		Need Help? 🗸 🛛 Dashboa	rd Market \vee Bids \vee () LAXMI NARAIN
Shop By Category 🗸 🗸 🗸 🗸	All Categories 🗸		Q Shopping Cart 🍞
NOTIFICATIONS			+
	DUUCT ORDERS + SERVICE ORDERS +	ALL DEMANDS BILLS - INCIDENT	
	DDUCT ORDERS + SERVICE ORDERS +	ALL DEMANDS BILLS - INCIDENT	

2.3. On Clicking the "INCIDENT" option highlighted in the screenshot above, the Incident management Dashboard would open.

GeM/2018/IM-Manual-Buyer/2.0



Incidents	User Manual 🔁 🛛 Gel	/I Incident Management Pol	icy 🖻 🖌 🗧 🔶
+ New All •	30597 - Refus	es to supply prod	duct/services after
30597 - Refuses to supply product/services after placement of contract Pending / 4 seconds ago	placement of	contract	
 30596 - Refuses to supply product/services after placement of contract Closed / 1 minutes ago 30533 - Splitting of demands and making repetitive direct purchases or creating multiple bids Closed / 17 days ago 	Respond Est Severity Status Order No: Shipment No Sub Category	calate X Close A P SERIOUS Pending GEMC- 511687786883406 Desktops	Ministry of commerce and industry Department of industrial policy and promotion Office of chief controller of accounts
30488 - Exercising corrupt influence on the stakeholder Closed / 14 days ago	Issue Raised By Raised Against	Udyog bhawan new delhi (BUYER) Ashoka hirefin services private limited (SELLER)	dipp ministry of commerce and industry Udyog bhawan new delhi ⊠ sellergem50@gmail.com
 30487 - Indulgence in any anti-competitive behavior or cartel formation Closed / 20 days ago 	SCN Sent Description: Refuses to supply prod	No	0 9717387529
 30486 - Fails to furnish requisite performance 	placement of contract	ucoservices arter	Ashoka hirefin services private limited
per e-bid / RA conditions. Closed / 20 days ago			☑ mansi31@gmail.com □ 8939970454
30485 - Violating integrity pact Closed / 20 days ago			Date
 30393 - Withdraws or modifies or impairs or derogates from the bid in any respect within the period of validity of its bid Closed / 25 days ago 			Created on: 04/02/2019 01:52:42 PM No of days: 4 seconds ago Last Modified On: 04/02/2019 01:52:42 PM
30390 - Misdeclaration on Government Transaction Experience Closed / 31 days ago			
30389 - Offering false warranty Closed / 31 days ago	Incident Responses At	tachments	
< < 1 2 3 4 > >>	No response have been creat	ed yet.	

- 2.4. The Incident management Dashboard would display all the incidents that have been raised by you or are raised against you.
- 2.5. You can also add the comments, view the response of the Seller by using the "Incident Response" Option
- 2.6. You can also upload documents by using the "Attachments" Option available on the Dashboard.

3. Incident Creation

The Incidents can be created by Buyers for deviations in both Pre-Order Placement and Post Order Placement by the Sellers

3.1. Pre-Order Placement Incident Creation

3.1.1. To register a new Incident, Select a product in Marketplace and click on the link – "Report this Product"



All transactions on GeM 2.0 can be accessed here.	
Home / Information Technology Broadcasting and Telecommunications / Computer Equipment and	Accessories / Computers / Desktops
	HP Base 3221 (HP) (HPbase_A001) ⁽²⁾ Write a Review
	₹18,000.00 (* 20,000,00)
	Price For : 1 pieces
	Availability: 👩 1000 In Stock
	Min. Qty. Per Consignee: 1 EDIT CONSIGNEE
	Product id: 5116877-78759932881
	Sold by: TestSeller OEM
	1 Other Seller(s)
	BUY Report This Product
	chipset : Intel H110
	RAM Size (GB) : 4.0
	RAM Expandability (GB) : 16.0
	Graphic Memory : N/A

3.1.2. On clicking of the Link – "Report This Product", the Create Incident Screen will open to allow you to create an Incident.



Create Incident		
	Hp base 3221	
	Description:	Hp base 3221
()	Sub Category:	Desktops
	Brand:	HP
A STATE OF CONTRACTOR OF CONTRAC	Model:	HPbase_A001
Tell us What is wrong with this Product (or Seller*	
Select		,
Issue Description (Max 250 chars)*		
Submit		

3.1.3. To Create an Incident, Provide the Following Information

- Reason Select the appropriate reason from the Dropdown. Please Refer the Incident management policy to get the Details of Various Reasons.
- Additional Information Based on the Reason selected by you, the system will ask for applicable additional details regarding Image, Price, Specification and Category. Additional details needs to be provided as applicable.
- Issue Description This Field can be used to specify the additional Details about the Incident.
- 3.1.4. Click on the Submit Button to create an Incident.

3.2. Post-Order Placement Incident Creation

3.2.1. To register new incidents, click on the "New" button available on the screen.



Incidents		×
Incidents + New All No incident have been created yet,	No Incidents in your queue to display	

- 3.2.2. On clicking of the "New" button, the Incident creation Screen will open to capture the details of the incident.
- 3.2.3. To register an incident, provide the following information
 - Contract Number select from the applicable 3.0 contract
 - To select a 2.0 contract, click on the "Click here" to choose a contract from earlier 2.0 version
 - Invoice Number This is required in case the Invoice has been generated.
 Select the Invoice number for which the Incident is to be raised.
 - Select the applicable reason for raising the Incident. The reasons are to be selected from the dropdown. You can refer the Incident management Policy for selecting the appropriate reason.
 - Description This Field can be used to specify the additional Details about the Incident.
- 3.2.4. Click on the Submit Button to create an Incident.
- 3.2.5. Only one incident can be created for an order and invoice combination.

4. Incident Listing

4.1. Once an incident is created, it will be displayed in your dashboard.



cidents	User Manual 🙆 🛛 GeM Incident Management Policy 🖪					
New All	2134 - Nor	2134 - Non-delivery of the product(s) after successful				
2134 - Non-delivery of the product(s) after accessful bidding/ placement of contract ending / 22 hours ago		acement of contrac ♀ Escalate ★ Close ↔ Pr	_			
1139 - Recurring / inordinate delay in payment sst CRAC generation IN Sent / 7 days ago	Severity Status	SEVERE Pending	Buyer			
1036 - Recurring delay in CRAC generation	Order No: Shipment No	GEMC-511687790556656	Ministry of commerce and industry Department of industrial policy and promotion			
Mild 🔲 Serious 📕 Severe	Sub Category Issue Raised By Raised Against	Smartphones Udyog bhawan new delhi (BUYER) Truorg agro solutions	Office of chief controller of accounts dipp ministry of commerce and industry			
	SCN Sent	private limited (SELLER) No	Udyog bhawan new delhi ☑ sellergem50@gmail.com			
	Description:		8744001940			

- 4.2. You can also view any clarifications or response provided by the seller.
- 4.3. To escalate an incident, click on the escalate Button
- 4.4. To close an Incident, Click on the close button
- 4.5. To print the details of the incident, use the print button.
- 4.6. To respond to an incident or a show Cause notice, click on the Respond button.
- 5. Incident Resolution

5.1. Incident Escalation to GeM Admin

You can choose to escalate an incident to GeM Admin in case you are not satisfied with the Response of the Seller.

Effective 6th August 2018, the Incidents can be escalated as per the below SLA:

- For Mild–The escalation of incident to GeM admin would be allowed from day 21.
- For Serious –The escalation of incident to GeM admin would be allowed from day 16.
- For Severe –The escalation of incident to GeM admin would be allowed from day 11.
- 5.2. Responding to the clarifications asked by GeM Admin




• You can respond to the clarification asked by the GeM admin by using the Respond button on Incident Details screen. You can choose to indicate whom you are responding.

C	reate Response	×
	Responding to Raised by Admin	
	Response Message (max 250 characters)*	
ſ		
	Submit	

5.3. Acknowledging to a Show cause Notice

Whenever a show cause notice is raised against you by GeM admin, the same will be displayed on the Dashboard after login.

Please note that it is mandatory to acknowledge the Show Cause Notice.



To View the Show cause Notice, Click on the Details Button.

To acknowledge the Show cause Notice, Click on the Acknowledge Button.



Please note that acknowledging the Show Cause Notice means that you have read and understood the contents of the Show Cause Notice.

To respond to a Show cause Notice, Refer Section 5.4 below.

5.4. Responding to a Show cause Notice

When a show cause notice is sent to you by GeM Admin, it will be indicated on your buyer dashboard.

He	llo RajeshTripathi!
	All transactions on GeM 2.0 can be accessed here
A.S	how cause Notice has been sent to you against incident Number 211 You are required to furnish your reply within 7 (Seven) calendar days. Pending reply, your account is being pr Notified list on GeM Platform. You can view the details here and provide your response to the Show cause notice. How cause Notice has been sent to you against incident Number 1036. You are required to furnish your reply within 7 (Seven) calendar days. Pending reply, your account is being t on Notified list on GeM Platform. You can view the details here and provide your response to the Show cause notice.
	how cause Notice has been sent to you against incident Number 1101.You are required to furnish your reply within 7 (Seven) calendar days. Pending reply, your account is being t on Notified list on GeM Platform. You can view the details here and provide your response to the Show cause notice.
	how cause Notice has been sent to you against incident Number 1108.You are required to furnish your reply within 7 (Seven) calendar days. Pending reply, your account is being ton Notified list on GeM Platform. You can view the details here and provide your response to the Show cause notice.

To respond to a show cause notice, follow the below mentionedsteps:

Step1 - Click on the reply button on Incident details screen as mentioned in the screen below:

GeM/2018/IM-Manual-Buyer/2.0



Sub Category Issue Raised By Raised Against SCN Sent Description: Not honoring – warran	Scissors All india radio (BUYER) (SELLER) Yes Yes ty obligations test 18th July	All india radio Sellergem50@gmail.com ■ 8744001940 Seller Sellergem50@gmail.com ■ 8744001940 Date Created on: 04/07/2018 11:43:31 AM No of days: 14 days ago Last Modified By: System Admin Last Modified On: 18/07/2018 12:09:19 PM	
	Attachments dded a comment - 18/07/2018 11:49:37 cause notice	AM	
System Admin (SYSTEM) sent show cause - 18/07/2018 11:49:37 AM			

Step 2 - A new popup screen will open to take your response.



C Respond		
Respond to SCN		🗙 ervice Detail
Response Message (max 250 char	racters)*	ervice ID: home_amci ervice Name: AMC - IT ackage: Basic (h/w su ge of Device: 3 - 5 otal Value: 3000.00 ocation: Delhi rpe of Equipment: De eller
Submit		m india private limite } sellergem50@gmai
		8744001940
		Date Created on: 27/06/201 No of days: 18 days ag Last Modified By: NA N Last Modified On: 11/0
Incident Responses	Attachments	

Step3 - Write your response and click on the submit button to respond to a Show cause Notice

5.5. Closing an Incident

You can choose to close an incident in case you are satisfied with the response of the seller or GeM Admin.

It is to be noted that all escalated incidents for which Show Cause Notice is sent by GeM Admin can be closed only by the GeM Admin.

Please note that you may raise the incident again, in case you feel the closure is not appropriate, from the Incident management available on the GeM portal.

To close an Incident, act as perthe following steps:

$Step 1-Click \ on \ the \ close \ button$

rcidents	User Manual 🕅 🛛 Ge	2M Incident Management Policy 🖪	
New All Z188 - Recurring / inordinate delay in payment post Pending / 3 seconds aso			ay in payment post CRAC
2184 - Not honoring - warranty obligations Recommended Action / 6 hours ago		Escalate 🗶 Close 🖨 Print	
2183 - Non-delivery of the product(s) after successf Closed / 6 hours ago	Severity Status Order No:	SERIOUS Pending GEMC-511687785884883	Buyer Ministry of agriculture and farmers welfare Department of agricultural research and
2179 - Recurring delay in CRAC generation Action Taken / 22 hours ago 2177 - Offering false warranty	Shipment No Sub Category Issue Raised By	 Stapler (SELLER)	education (dare) Indira gandhi agricultural university raipur Test
In-Progress / 2 hours ago	Raised Against SCN Sent Description:	Test (BUYER) No	⊠ sellergem50@gmail.com □ 8744001940
Mild Serious Severe		delay in payment post CRAC	Seller ⊠ sellergem50@gmail.com □ 8744001940
			Date

Step 2 - On clicking of close button, the close window will open.



Close Incident			×	
Reason (max 2	250 characters)*			yme
r				
e				uyer
Close				
e		limited (SELLER)		2
	Raised Against	(BUYER)		
	SCN Sent	No		Seller
	Description:			Truorg ag
	Recurring / inordinate delay in payment post CRAC generation			⊡ sellerg
	Selleration			□ 874400
				Date
				Created c

Step 3 – Write the reason for closing the incident and click on the close button to close an incident.